राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–421/2015)

भंवर लाल कुमावत **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर सह जिला प्रोग्राम कोर्डिनेटर, मनरेगा, बूंदी।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।
4. विकास अधिकारी कम सह प्रोग्राम ऑफिसर (ईजीएस) पंचायत समिति, केशवराय पाटन, जिला बूंदी।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.07.2023

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपलार्थी ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर ग्राम पंचायत, बलवन पंचायत समिति केशवरायपाटन में दिनांक 04.11.2009 तक पदस्थापित था। इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्य पंचायत समिति में हो गया। जिला परिषद बूंदी द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति केशवरायपाटन को पत्र दिनांक 10.01.2013 प्रेषित कर यह अंकित किया कि ग्राम पंचायत बलवन में हुए मनरेगा कार्य के सम्बन्ध में राशि 4,07,900/– रूपये की वसूली लगाई गई है, जो सरपंच एवं ग्राम सेवकों से वसूली योग्य है। अपीलार्थी की और से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वसूली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना मे गठित जांच समिति की विस्तृत जांच में वर्णित पदीय दुरुपयोग तथा वित्तिय अनियमितताओ की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत समिति केशवराय पाटन की ग्राम पंचायत बलवन मे खरजा निर्माण कार्य प्रहलाद के मकान से राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमलीखेडा सामग्री मद मे 298504/– व्यय किये गये जांच में 94817/– राशि मुल्यांकित हुई एवं खुदाई एवं सुरक्षा दीवार निर्माण बडा तालाब (रियासतकालीन) बलवन के कार्य मे सामग्री मद में 640053/– व्यय की गई जब कि जांच में 435840/– राशि मुल्याकिंत हुई इत्यादि कार्यों मे मुल्यांकन से अधिक राशि व्यय किये जाने की व निर्माण कार्यों तथा लेखो तथा व्यय की विस्तृत

जांच–सम्पुर्ण कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी की उपस्थिति में ही सम्पन्न हुई प्रार्थी को सुना गया तद्नुसार कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) पंचायत समिति के पाटन द्वारा जारी आदेश क्रमांकःपसके/मनरेगा/2012–13/3049–53 दिनांक 25.02.2013 एंव आदेश क्रमांकः पसकें/मनरेगा/2013–14/1150 दिनांक 04.12.2013 आदेश जारी किया गया जो विधिक होने से अपीलार्थी से राशि 135967/–रू वसुलनीय होने से उक्त अपील मय कोस्ट काबिल निरस्त योग्य है।

3. दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्यरूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसुली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसुली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

4. अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यूयिक दृष्टुंत 2013(1) WLC (Raj.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थोन राज्य् प्रस्तुत किया गया है। जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसुली बिना सुनवाई का अवसर दिये किये जाना उचित नहीं माना है।

5. अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपनी इस अपील में यह अभिकथन किया हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी के उपरोक्त अभिकथन का खण्डन प्रत्यर्थी विभाग की ओर से नहीं किया गया है। अतः हम यह पाते है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांक को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के वेतन से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसुली की कार्यवाही नहीं की जाये। कोई राशि वसुल की गई हो तो उसे लौटाया जाये।

7. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)